निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद
प्रकरण सं.: 76/2014
दायरा दिनांक 14.7.2014
निर्णय दिनांक: 16.6.17

उनवान

सुनीता पुत्री परमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी कनलावदा खेरण तह० छीपाबड़ौद हाल निवासी बरकत नगर, टोंक रोड जयपुर

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कनलावदा खेरण
2. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कनलावदा खेरण
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. कनलावदा खेरण
4. राजेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. कनलावदा खेरण
5. शाखा प्रबन्धक एस. बी. बी. जे. शाखा हरनावदा शाहजी
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
7. अधि. अधिशाषी अधिकारी (जल संसाधन) परवन वृहद सिंचाई परियोजना खण्ड झालावाड़

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92A, 53, 188 RTA

निर्णय दिनांक - 16.6.17

उपस्थित अभिभाषक - 1. गोविन्द गौतम वादिया
2. परवर्धन सिंह प्रतिवादी

अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92A, 53, 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के ... से इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 22 ... 5.10 बीघा, ख.नं. 23 रकबा 8.11 बीघा, ख.नं. 40 रकबा ... बीघा, ख.नं. 291 रकबा 5.02 बीघा, ख.नं. 294 रकबा 7.1... कुल किता 5 रकबा 40.02 बीघा मौजा कनलावदा खेरण ... है जो प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के शामलाती खातेदारी में दर्ज ...

(क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

रही है जिसमें प्रतिवादी क्र. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज चला रहा है उक्त वर्णित आराजी पैतृक आराजीयात है उक्त आराजी प्रतिवादी क्र. 1 व 2 को उनके पूर्वज कल्याण उनके पिता श्री रामचन्द्र से बतौर विरासत के प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी क्र. 1 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी क्र. 1 के तीन पुत्र वादनी के पिता दयानन्द व जगदीश प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद है तथा वादनी के पिता श्री दयानन्द का स्वर्गवास हो गया है तथा वादनी के पिता के स्वर्गवास के बाद वादनी ही उनकी एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी रही है इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी क्र. 1 के हिस्से 1/2 की आराजी मे वादनी को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त हो गये है इसलिए वादनी उक्त वर्णित आराजीयात मे अपना 1/8 हिस्सा दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी को परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र मे आ रही है जिसकी विज्ञप्ति राज. सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा क्रमांक प/भू-अ./2012-11 दि दिनांक 1-11-12 जारी होकर प्रतिवादी क्र. 7 भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहद परवन सिंचाई परियोजना झालावाड को पाबन्द कर भूमि अवाप्त करने के आदेश जारी किये गये है जिसके आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड से भूमि अधिग्रहण कर भूमि अवाप्ति आदेश सं. 176 पर दर्ज है

उक्त भूमि अवाप्ति के आधार पर डूब क्षेत्र वाली भूमि के चैक वितरण होना है जिसका चैक वादनी के दादा जी प्रतिवादी क्र. 1 के नाम जारी होना है उक्त राशि को प्राप्त कर वादनी के दादा जी प्रतिवादी क्र. 1 उनके दोनो जीवित पुत्र प्रतिवादी क्र 3 व 4 को ही देना चाहते है तथा वादनी को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते है जबकि उक्त वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें वादनी को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो गये है। इसलिए वादनी उक्त वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्र. 1 के हिस्से 1/2 मे से 1/4 हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारी है, प्रतिवादी क्र. 1 ने मुआवजा राशि मे से सम्पूर्ण राशि का वितरण प्रतिवादी क्र 3 व 4 को कर दिया तो वादनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी इसलिए वादनी अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने खाते दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारी है तथा मुआवजा राशि का चैक अपने नाम से अलग से जारी करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी प्रतिवादी क्र 2 को छोडकर सब प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की तथा उक्त वर्णित आराजी मे से प्रतिवादी क्र. 1 के हिस्से मे से 1/4 हिस्से की आराजी अलग से अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने की तथा अपने हिस्से की आराजी का अलग से

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

आधार पर तस्दीक किया जाकर स्था० कि किया गया इस प्रकरण से सम्बंधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA की के निर्णय की अपील माननीय न्यायाः भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा में की गई जिसमें माननीय न्यायाः द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है प्रस्तुत वा में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है परन्तु प्रार्थना पत्र 212 RTA के निर्णय की अपील की गई जिसमें मान० न्य का स्थगन आदेश है। यह आदेश उक्त अपील के निर्णय अध्यधीन रहेगा आदेश दिया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादनी का वाद राज
लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तालेडा में स्वीकार
जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम जालावड़ा खसरा नं० छ
के ख० नं० 22 रकबा 5.10 बीघा, ख०नं० 23 रकबा 2.11 बी
ख० नं० 40 रकबा 19.04 बीघा, ख०नं० 291 रकबा 5.02 बी
ख०नं० 294 रकबा 7.15 बीघा कुल किता 5 रकबा 40.02
में प्रार्थी वादी का। रामप्रताप के हिस्से 1/2 में से 1/6 हिस्से
वादनी को राजीनामा के आधार पर खातेदार कृषक घोषि
जाता है इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रा० पत्र 212 RTA के नि
की अपील मान० न्याया० भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राज
अपील अधिकारी कोटा में विचाराधीन है। यह आदेश उक
अपील के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तदनुसार डिक्री
जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल
उपखण्ड अधिका
छीपाबड़ौद जिला
उपखण्ड अधिका

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 76/14	धारा अंतर्गत 88, 89, 91, 92A, 53, 188	निर्णय दिनांक 16.6.17
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी G. M. G. Adv	अभिभाषक प्रतिवादी [illegible]	

वाद शीर्षक

सुनीता पुत्री परमानन्द जाति ब्राह्मण नि. झालावाड़ा खुर्द तह. छीपा० हाल नि. बरकत नगर टोंक रोड जयपुर

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि. झालावाड़ा खुर्द
2. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि. झालावाड़ा खुर्द
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण नि. झालावाड़ा खुर्द
4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण नि. झालावाड़ा खुर्द
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
7. प्राक [illegible] अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिनी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम झालावाड़ा खुर्द तह. छीपाबड़ौद के ख.नं. 22 रकबा 5.10 बीघा, ख.नं. 23 रकबा 2.11 बीघा, ख.नं. 51 रकबा 5.02 बीघा, ख.नं. 40 रकबा 19.04 बीघा, ख.नं. 254 रकबा 7.15 बीघा कुल किता 5 रकबा 40.02 बीघा में प्रार्थी वादी का / रामप्रताप के हिस्से 1/2 में से 1/6 हिस्से पर वादिनी को राजीनामा के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रा. [illegible] की अपील मान. न्याया. में प्रस्तुत पत्र प्रार्थ RTM के निर्णय की अपील मान. राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील [illegible] के निर्णय के विचाराधीन थी। यह आदेश उक्त अपील के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

........................रू0 का व्यायानुतोष........................द्वारा........................को प्रदान किया जाए

सत्य प्रतिलिपि........................

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक........................को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्यायानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner